



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 67633

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10881 सन् 2026

गोरख यादव

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: - मनोज कुमार यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: - शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री मनोज कुमार यादव, विद्वान अधिवक्ता, को आवेदक की ओर से तथा श्री रोशन कुमार सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, को राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 354 सन् 2025, धारा 191(2), 191(3), 103(1), 352, 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना केराकत, जनपद जौनपुर के अधीन विचाराधीन मुकदमे में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।

3. अभियोजन कथा के अनुसार, नामजद अभियुक्त तथा अनेक अन्य अज्ञात व्यक्ति उस मोबाइल टॉवर पर आए जहाँ मृतक रोहित यादव 'गार्ड' के रूप में कार्यरत था और उन्होंने उसकी पिटाई प्रारंभ की, जिसके फलस्वरूप वह अपनी चोटों से मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह भी आरोपित है कि इस घटना को चश्मदीद गवाह आकाश सिंह उर्फ सौरभ सिंह ने देखा था।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे प्रस्तुत मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सी.सी.टी.वी. फुटेज में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक की पहचान नहीं हो सकी, यहाँ तक कि चश्मदीद गवाह आकाश सिंह उर्फ सौरभ सिंह ने भी सी.सी.टी.वी. फुटेज से आवेदक की पहचान नहीं की। आवेदक का प्रस्तुत मामले से कोई संबंध नहीं है। आवेदक के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि समान परिस्थिति के सह-अभियुक्त राजन पाल को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 8772 में दिनांक 24.03.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। अतः आवेदक, समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। उन्होंने अंत में कहा कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक ने एक मामले के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया है और वह 02.12.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक के जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि सह-अभियुक्त राजन पाल को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

6. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टि में रखते हुए एवं कारागारों में अत्यधिक भीड़ तथा अवर न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, साथ ही 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में प्रतिवेदित कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेशानुसार विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक गोरख यादव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, व्यक्तिगत मुचलका तथा उसी राशि के दो जमानतदारों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

i.. आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे उसे न्यायालय अथवा किसी पुलिस



अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक कोई स्थगन न माँगते हुए विचारण/अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी आपराधिक क्रियाकलाप अथवा किसी अपराध के कारित करने में लिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास प्रमाण मुचलके स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएँ।

10. स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जो संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित होगी कि प्रमाणित प्रति 15 दिन के भीतर दाखिल की जाएगी।

11. यह भी निदेश दिया जाता है कि अवर न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (BOMS) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश प्रेषित करे।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के जमानत प्रदान करने की नीतिगत रणनीति, संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 सन् 2021 में दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत एवं (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित, आदेश के अनुपालन में, संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा याचिकाकर्ता को प्रेषित करे।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

ए.कु०

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।